International Research Vision (Int. Res. Vn.)
ISSN: 2454-3721
Volume 4 Issue 1: 41-44, 2018
Available online http://www.bioglobia.in

ग्रामीण विकास एवम् पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता

लक्ष्मी कुमारी* और उग्रसेन पाण्डेय
समाजशास्त्र विभाग एस0आर0के0 (पी. जी.) कॉलेज, फिरोजाबाद, उ. प्र.

***Corresponding author's e-mail: laxmivermasociology@gmail.com**
Received: 25.02.2018 **Accepted: 20.03.2018**

सारांश

गाँव के विकास के लिए सरकार ने ग्रामीण नेतृत्व कि लोकतांत्रिकों प्रणाली में पंचायतों का गठन किया जिससे वह गॉव के विकास कार्य में पूर्ण सहयोग कर सके तथा इन पंचायतों का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन धारा से जोड़ना है। परन्तु पंचायतों की स्थिति निराशाजनक रही। और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की धीमी गति रही। परन्तु वर्तमान में पंचायतो की सहभागिता को ग्रामीण विकास के लिए बढ़ाने के कई ठोस कदम उठाये गहे है।

मुख्य शब्दः *लोकतांत्रिक, सहभागिता, उद्देश्य, प्रणाली*

शीर्षक विश्लेषण

ग्रामों की मूल केन्द्रक पंचायत है, यह एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। जिसे संवैधानिक अधिकार भारत में प्राप्त हो सके भारत सरकार ने इस बात का अनुभव है कि गाँवों के त्वरित विकास के लिये जन भागीदारी आवश्यक है, इसी विचार से भारत सरकार भागीदारी आवश्यक है, इसी विचार से भारत सरकार ने बलबन्त राय मेहता (1956) अशोक मेहता कमेटी (1978) एवं जीर्ण–वीर्ण राव कमेटी (1983) का गठन किया तथा इनकी सिफारिशों पर विचार किया परन्तु पंचायतों की स्थिति निराशाजनक रही। परन्तु वर्ष 1993 के 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसे संसद एवं विधान सभाओं की तरह लोकतांत्रिक की तीसरी कतार के रूप में अपनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के धीमी गति की वजह धन की कमी एवम् विषेश परियोजनाओं का अभाव तो रहा ही साथ ही साथ सही प्रकार के नेतृत्व की कमी या उसकी पूरी तरह गैर मौजूदगी भी है। आश्चर्यजनक है कि हमारे पास ग्रामीण के लिये कोई व्यवहारिक दृष्टिकोण लागू करने के लिये उपलब्ध नहीं है। सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के उद्दे य से भी जाने वाली सुविधाओं को पिछड़े और अल्संख्यक ग्रामीण गरीबों का न मिलने से इस ओर बढ़ाये वाले प्रयास निष्फल है।

यह सत्य है कि अब गाँव में रहने का कोई आकर्शण नहीं बचा वहां बेरोजगारी बड़ी कृषि में मन्दी, ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं में जबरदस्त वृद्धि के बाद भी कृषि में हानि होती है। जिसका प्रमुख कारण किसानों की अशिक्षा है। 73वें संविधान संशोधन में इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने ग्रामीण विकास में पंचायतों की सहभागिता एवम् पंचायतों को वित्तीय दृष्टि आत्म निर्भर बनाने पर जोर दिया [1,2] जिससे गाँव में कृषि विकास, ग्रामीण उद्योग, जलपूर्ति, संचार, बिजली, सड़क निर्माण, ग्रामीण बैकों का विस्तार आदि प्रगति कार्य हो सके।

सरकार ने ग्रामीण विकास के लिये विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जैसे रोग नियंत्रण के कार्यक्रम, पोशकता में वृद्धि, व्यस्क साक्षरता का विस्तार, परिवार आयोजन, गाँव की सफाई सुधार आदि, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों की न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक प्रगति का भी ध्यान रखा जाता [3,4]। इन लोगों में निर्धन किसान, खेत मजदूर, दस्तकर और देहाती इलाकों के कमजोर व्यक्ति भी भामिल है। ग्रामीण विकास की अवधारणा मूलतः विविध क्षेत्रों के बीच उन सम्पर्कों संबधों को उजागर करने का प्रयास है जो ग्रामीण निर्धनों की आमदनी और रोजगार को बढ़ाते है मूलरूप से यह एकीकृत दृष्टिकोण का व्यक्त करता है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवनधारा से जोड़ना है। पंचायत नेतृत्व से गुणों की अपेक्षा की जाती है जो लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारी और दायित्वों तथा विकास की जानी मानी प्राथमिकताओं की प्रति संचेत है नेता

का मन ऐसा होना चाहिए जिस पर ग्रामीण समस्यायें तुरन्त अंकित हो जाये ये समस्यायें हैं : मानसून की अनिश्चिता लाभकारी आर्थिक गतिविधियों का अभाव, पूर्ण रोजगार की कमी, किसानों को पानी, रासायनिक खाद्यान्न और उत्पादों का समुचित मूल मिलने में कठिनाइयाँ खेत मजदूरों की दयनीय स्थिति, ग्रामीण दस्तकारों और अन्य लोगों को कौशल और प्रतिभा के विकास के अवसर न मिलना और क्षमता के बावजूद कार्य पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध न होना। इस सब को दृष्टि में रखकर और उन्हें नीति विकास के न्याय संगत विशिष्ट कार्यक्रमों में परिणतः करके लोगों को अपने साथ लेकर कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक क्रियान्वित करना नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़ा काम है [5,6] तालिका संख्या 1–5।

पंचायती राज व्यवस्था की यह कमी है पंचायतों को बिना आम सभा बुलाये ही सारी नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय कर लिए जाते है। अतः ग्राम पंचायत को आवश्यकता है कि आम सभा बुलाये एवं नीति एवं कार्यक्रम तय किये जाये। प्रायः यह देखा गया है कि लोकतांत्रिक ढांचे में ग्रामीण चुनाव में चुने हुये प्रतिनिधि अपने ग्रामीण क्षेत्रों की आव यकता को जानते–समझते नहीं है। ग्रामों की सामाजिक और आर्थिक विकास में पंचायत एवं पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः संविधान 73वें संशोधन में इस क्षेत्र में कई ठोस कदम उठाये गये[7–10] ।

तालिका संख्या 1

सम्पूर्ण सूचनादाताओं की राजनीतिक सक्रियता को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्र. सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1.	क्या पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आप ग्राम का भ्रमण करते हैं?	हाँ नहीं	324 126	72.00 28.00
2.	क्या गाँव जाकर आप ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हैं	हाँ नहीं	226 224	50.22 49.78
2. अ.	यदि हाँ तो क्या समस्याओं का निदान भी करते हैं?	हाँ नहीं	108 18	85.29 14.71
3.	क्या पंचायत प्रतिनिधि के रूप में पंचायत बैठकों में आप सक्रिय भूमिका निभाते हैं?	हाँ नहीं	280 170	62.22 37.78
4.	क्या ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिये आप सक्रिय रहते हैं?	हाँ नहीं	245 205	54.44 45.56

तालिका संख्या 2

सूचनादाताओं द्वारा किये गये मौलिक कार्यों को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्र. सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1.	क्या आपने गाँव की पेयजल व्यवस्था में सुधार किया है?	हाँ नहीं	232 218	51.56 48.44
1. अ	यदि हाँ तो कितना?	20 प्रतिशत 40 प्रतिशत 60 प्रतिशत 80 प्रतिशत 100 प्रतिशत	32 44 112 26 18	13.31 18.52 48.86 11.69 7.62
2.	क्या आपने ग्रामीणों की आवास सम्बन्धी समस्याओं का निदान किया है?	हाँ नहीं	268 182	69.52 40.44
3.	क्या आपके प्रयास से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कार्य हुआ है?	हाँ नहीं	275 175	61.11 38.89

तालिका संख्या 3

सूचनादाताओं द्वारा शिक्षा सम्बन्धित किये गये प्रयासों को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्र. सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1.	क्या आपके द्वारा किसी विद्यालय की स्थापना हुयी है?	हाँ	212	47.11
		नहीं	238	52.89
2.	यदि हाँ हो क्या	प्राइमरी	112	52.19
		हाईस्कूल	45	21.42
		इण्टर	35	16.43
		स्नातक	15	7.47
		स्नातकोत्तर	5	2.49
3.	क्या आपने किसी रूप में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में मदद की है?	हाँ	324	72.00
		नहीं	126	28.00
4.	यदि हाँ तो किस रूप में ?	आर्थिक	85	26.57
		भूमि	72	22.22
		खान–पान	75	23.15
		प्रोत्साहित करके	92	28.06
5.	क्या आपने ग्रामीण क्षेत्र में बाजार एवं मेलों का आयोजन किया है?	हाँ	355	78.89
		नहीं	95	21.11
6.	यदि हाँ तो	सप्ताह में एक	124	34.58
		माह में एक	167	47.25
		3 माह में एक	64	18.17

तालिका संख्या 4
सूचनादाताओं के सामाजिक कार्यों को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्र. सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1.	क्या आपने शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से विकलांग व्यक्ति को राजकीय सहायता दिलवायी है?	हाँ	98	21.78
		नहीं	352	78.22
2..	क्या आपने कभी बंधुआ मजदूरों को स्वतन्त्र कराया है।	हाँ	175	61.11
		नहीं	275	38.89
4.	यदि नहीं तो क्यों ?	मालिक बाहुबली थे	87	31.36
		मजदूर स्वतन्त्रत नहीं होना चाहते थे	98	35.36
		प्रयास ही नहीं किया	56	20.64
		पंचायत इस पर ध्यान कम देती है	34	12.64
5.	क्या आपने गाँव में बेराजगारी दूर करने का प्रयास किया है ?	हाँ	256	56.89
		नहीं	194	43.11
6.	क्या आप ग्रामीणों पर विभिन्न कर लगाना उचित मानते हैं?	उचित	138	30.67
		अनुचित	312	69.33

तालिका संख्या 5
सूचनादाताओं के आर्थिक प्रयासों को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्र. सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1.	क्या आपने ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग लगवाने का प्रयास किया है?	हाँ	175	38.89
		नहीं	275	61.11
2.	क्या आपने गाँव में कुटीर उद्योग लगवाने का प्रयास किया है?	हाँ	182	40.44
		नहीं	268	59.56
3.	क्या आप ग्रामीण बालक–बालिकाओं के विकास के लिये योजनाएं बनाते हैं?	हाँ	285	63.33
		नहीं	165	36.67
4.	क्या आपने सड़कें, पुल, नाली आदि से सम्बन्धित कोई विकास कार्य किया है?	हाँ	312	69.33
		नहीं	138	30.67
5.	क्या आपने ग्रामीण पशुधन को बचाने का प्रयास किया है?	हाँ	292	64.89
		नहीं	158	35.11
6.	क्या पंचायत की भूमि आप सुरक्षित रख सकते हैं?	हाँ	225	50.00
		नहीं	225	50.00

निष्कर्ष

इस अध्ययन में पंचायतों की सक्रीयता का आंकलन किया गया है तथा इसके द्वारा ग्रामीण निर्धनों की अर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्तर पर किस प्रकार विकसित किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. शर्मा सुदेश कुमारः पंचायत राज इन इण्डिया
2. सिसादिया यतेन्द्र सिंहः पीपुल्स पार्टिसिपेश्न इन ग्रामसभा
3. भार्गव बी0एस0ः इमजिंग लीडर सिप इन पंचायती राज सिस्टम
4. राव0 डी0 राघव 1980. पंचायत एण्ड रूरल डबलपमेन्ट पब्लिसिंग न्यू दिल्ली
5. श्रीमती भांकर शोभा 1980. आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, साहित्य भवन प्रा0 लि0
6. सिंह गजेन्द्र पाल 1999. पंचायती राज व्यवस्था संकल्पना एवं संविधानिक प्रावधान प्रतियोगिता दर्पण सितम्बर, 1999
7. माहे वरी, एस0आर0ः भारत के स्थानीय प्रशासन पुस्तक प्रका ान आगरा
8 श्रीनिवास, एम0एन01966. सोसिल चैंज इन मॉडर्न इण्डिया बर्कले एण्ड लंगलेस यूनिवर्सिटी ऑफ कलिफा *A journal of Asia for Democracy Development*, A Quarterly Journalof SC, Morena (M.P.)
9. Anand sudhir, S.2006. *Indian Judiciary and Social Justice*, R. P.
10. डा० अमरनाथ 2007.नारी का मुक्ति संघर्श, रेमाधव पब्लिकेसन्स प्राइवेट लिमिटेड